न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–100 / 2022

प्रार्थीः–

1. खीमाराम पुत्र बगाराम जाति नाई निवासी मीठौड़ा तहसील सिवाना
2. मीठालाल पुत्र बगाराम जाति नाई निवासी मीठौड़ा तहसील सिवाना
3. तारीदेवी पत्नी बगाराम जाति नाई निवासी मीठौड़ा तहसील सिवाना
4. सूबटीदेवी पत्नी खीमाराम जाति नाई निवासी मीठौड़ा तहसील सिवाना
5. पानीदेवी पत्नी लुम्बाराम जाति नाई निवासी मीठौड़ा तहसील सिवाना
6. हकमाराम पुत्र लुम्बाराम जाति नाई निवासी मीठौड़ा तहसील सिवाना

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. मांगीलाल पुत्र मानाराम जाति मेघवाल निवासी बुडीवाडा तहसील पचपदरा हाल निवासी मीठौड़ा तहसील सिवाना
2. भंवरसिंह पुत्र वगतसिंह जाति राजपूत निवासी मीठौड़ा तहसील सिवाना जिला बाडमेर
3. वचनसिंह पुत्र वगतसिंह जाति राजपूत निवासी मीठौड़ा तहसील सिवाना जिला बाडमेर
4. जेताराम पुत्र देवाराम जाति नाई निवासी मीठौड़ा तहसील सिवाना
5. ग्राम पंचायत मिठौडा जरिये सरपंच ग्राम पंचाायत मीठौड़ा
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री पूनमचन्द रामदेव अधिक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–::आदेश::–

दिनांकः–26.12.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.रा. अधिनियम नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 166 रकबा 3.3832 हैक्टयर किस्म धोरा सरहद मौजा मीठौड़ा तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थीगण के पडौस में विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 957/165 रकबा 6.1188 हैक्टयर,विप्रार्थी संख्या 2 व 3 का खसरा संख्या 145 रकबा 0.6394 हैक्टयर विप्रार्थी संख्या 4 का खसरा संख्या 945/167 [illegible] हैक्टयर व विप्रार्थी संख्या 5 का खसरा संख्या 515 रकबा 18.0166 हैक्टयर भूमि [illegible] है। विप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से लगती विवादित भूमि [illegible] है। जिससे प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थीगण के उक्त स्वामित्व कब्जा की भूमि के चारो माठो की सीमाओं का सही निर्धारण नहीं होने के कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये

उपखण्ड अधिकारी * सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्धान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सरहद मौजा मीठौड़ा तहसील सिवाना के अनुसार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है, जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

ऐसी सूरत में दोनों पक्षों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मीठौड़ा तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 166 रकबा 3.3832 हैक्टयर भूमि किस्म धोरा का सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। इस हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/– शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीष्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे, आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे।

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)